

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं०सं०-सं०क०स्था०(मु०)-79/2025- 5103...

पटना, दिनांक- 30-06-2025

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा के कार्यरत निम्नलिखित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने, कार्यहित में/ प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं अभ्यावेदन के आधार पर उनके नाम के समक्ष स्तंभ-05 में अंकित जिला/कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित स्थान	नवपदस्थापन स्थान
01	02	03	04	05
1	सुश्री सरणप्रीत कौर	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पश्चिम चम्पारण	शेखपुरा
2	श्री हिमान्शु पाण्डेय	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	सिवान	कैमूर
3	श्री रूपेश कुमार	बांका	ADCPU, लखीसराय	सिवान
4	सुश्री विजेता रंजन	नालन्दा	ADCPU, मधेपुरा	जहानाबाद
5	श्री आशीष प्रकाश अमन	मुजफ्फरपुर	मधुबनी	दरभंगा
6	श्री नितीश कुमार	नालन्दा	भोजपुर	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना
7	श्री अमृत कुमार ओझा	भोजपुर	औरंगाबाद	वैशाली
8	श्री अभिजीत सोनल	नालन्दा	शेखपुरा	बेगूसराय
9	सुश्री शुभांगी सिंह	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	गोपालगंज	शिवहर
10	सुश्री माला कुमारी	पटना	जहानाबाद	अरवल
11	श्री अमित विक्रम	बेगूसराय	लखीसराय	मधुबनी
12	अफताब करीम	औरंगाबाद	शिवहर	रोहतास
13	श्री आलोक कुमार भारती	अररिया	सुपौल	किशनगंज
14	सुश्री यशवी	सहरसा	मधेपुरा	कटिहार
15	श्री सूरज कुमार	लखीसराय	जमूई	अररिया
16	श्री शिवेन्द्र कुमार	सीतामढी	पूर्वी चम्पारण	पश्चिम चम्पारण
17	सुश्री अनिता कुमारी	पटना	ADCPU, औरंगाबाद	बक्सर
18	श्री रितेश कुमार	नालन्दा	पूर्णियाँ	नवादा
19	सुश्री नेहा कुमारी	नालन्दा	बेगूसराय	खगडिया
20	सुश्री आदिती प्रिया	पटना	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय	भोजपुर

2. उक्त सूची में सम्मिलित जो मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित वैधानिक कार्य कर रहे हैं वे उक्त कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ही नये स्थान पर कार्य करेंगी।

3. उपरोक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग नवपदस्थापित स्थान/ कार्यालय पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिनका स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, उनको स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. माह जुलाई, 2025 की वेतनादि की निकासी नवपदस्थापित स्थान से की जायेगी।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-79/2025-, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-79/2025-, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/समाज कल्याण निदेशालय/सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

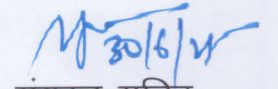
ह0/-

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-79/2025- 5103, पटना, दिनांक- 30.06.2025...

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

Sau